	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 04, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 25, 2025 *Chaitra 04, Tuesday, Saka 1947- March 25, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 24, 2025

जी.एस.आर.124 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 31.01.2018 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष ग्रुप-I महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग-क-अध्यापन पद के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

2.	आचार्य (आर.वी.आर. ई.एस.)	-	37400-67000 एजीपी- 10000 (एएल-14) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(क) सह-आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	-	37400-67000 एजीपी- 9000 (एएल-13 क) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(ख) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) चयन वेतनमान	-	15600-39100 एजीपी- 8000 (एएल-12) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(ग) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) वरिष्ठ वेतनमान	-	15600-39100 एजीपी- 7000 (एएल-11) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-

	(घ) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस)	8000-13500	15600-39100 एजीपी- 6000 (एएल-10)	प्राध्यापक

"

[सं. एफ. 5(2) डीओपी/क-2/2010]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 24, 2025

G.S.R.124 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Voluntary Rural Education Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 31.01.2018.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rule, 2010, under the heading Group-I-College Education Section-A-Teaching Posts, the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

2.	Professor (RVRES)	_	37400-67000 AGP-10000 (AL-14) Under Career Advancement Scheme	_
	(a) Associate Professor (RVRES)	_	37400-67000 AGP-9000 (AL-13A) Under Career Advancement Scheme	_
	(b) Assistant Professor (RVRES) Selection Scale	_	15600-39100 AGP-8000 (AL-12) Under Career Advancement Scheme	_
	(c) Assistant Professor (RVRES) Senior Scale	_	15600-39100 AGP-7000 (AL-11) Under Career Advancement Scheme	_
	(d) Assistant Professor (RVRES)	8000-13500	15600-39100 AGP-6000 (AL-10)	Lecturer

"

[No. F. 5(2)DOP/A-2/2010]

By order and in the name of the Governor,

DINESH KUMAR SHARMA,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.